

१०

①

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमाक एफ 4 (1) परावि/पीसी/वि.मा.प्लान/10/

540

जयपुर दिनांक:- 29-6-11

1. संभागीय आयुक्त, समस्त।
2. जिला कलक्टर, समस्त।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (समस्त)

विषय :- गांवों का सुनियोजित विकास ^{दृष्टि} विलेज मास्टर प्लान तैयार करने बाबत।

गांवों का विस्तार सुनियोजित ढंग से होना समय की मांग है। गांवों के सुनियोजित विकास की दृष्टि से एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2010-11 की अनुपालना में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक गांव का विलेज मास्टर प्लान (नजरी नक्शा) तैयार किया जावे। इस विलेज प्लान को तैयार करने में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जावे :-

1. विलेज मास्टर प्लान में निम्न सुविधाओं को दर्शाया जाना है :-

- आबादी क्षेत्र, यदि आबादी क्षेत्र में विस्तार हेतु आबादी भूमि उपलब्ध है तो उसे स्पष्ट रूप से दर्शाया जावे।
 - सिवाय चक भूमि
 - चारागाह भूमि
 - वन भूमि
 - गांव में उपलब्ध भौतिक सुविधाएं यथा पाठशाला, औषधालय, प्रा.स्वा. केन्द्र/उप केन्द्र, आंगनबाड़ी, पंचायत घर, पटवार घर, डाकघर, बैंक आदि के स्थानों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना है।
 - यदि उक्त सुविधाएं वर्तमान में गांवों में उपलब्ध नहीं हैं तो गांव की भौगोलिक दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में इन सुविधाओं के निर्माण हेतु स्थान का निर्धारण कर उसे दर्शाया जावे ताकि तदनुसार भविष्य में एक सुनियोजित योजना के अनुसार गांव का विकास हो।
2. विलेज प्लान तैयार करने का दायित्व ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक व पटवारी का होगा। पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता इस कार्य में तकनीकी सहयोग

उपलब्ध करवायेगें। ग्राम सेवक, पटवारी, कनिष्ठ अभियन्ता के अलग-अलग दायित्व निर्धारित कर कार्य को समयबद्ध पूर्ण करवाये।

3. विलेज प्लान को तैयार करने हेतु वार्ड सभा तदुपरान्त पंचायत मुख्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया जावे जिसमें चर्चा हेतु पंचायत सदस्यों व प्रतिष्ठित ग्रामवासियों को आमंत्रित किया जावे। बैठक में गांव की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजना तैयार करने के लिए वांछित सुविधाओं की लोकेशन के निर्धारण हेतु चर्चा की जावे।
4. यदि गांव में आबादी विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो तो गांव के समीप उपलब्ध सिवाय चक, चरागाह भूमि की किरम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव तैयार किये जावें एवं विकास अधिकारी के माध्यम से तहसील / उपखण्ड कार्यालय में भिजवाये जावे। विकास अधिकारी के वांछित भूमि के परिवर्तन की कार्यवाही माह में सुनिश्चित करावे। यदि इस कार्य में कोई बाधा आती है। तो प्रकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं जिला कलेक्टर के ध्यान में लाया जावे तथा यथ समय कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
5. आबादी भूमि के विस्तार हेतु प्रस्तावित भूमि के उपयोग हेतु योजना तैयार की जावे एवं उसे विलेज प्लान में दर्शाया जावे। वर्तमान में गांवों के मास्टर प्लान खसरा नक्शों के उपर बनाये जाने चाहिए।
6. तैयार किये गये विलेज प्लान पर ग्राम सभा की बैठक में विस्तृत चर्चा कराकर ग्राम सभा से अनुमोदन करवाया जावे।
7. अनुमोदित विलेज प्लान का एक नक्शा ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जावे। इसी प्रकार एक नक्शा गांव के किसी प्रमुख स्थान पर जहां पर वह सुरक्षित रह सके, प्रदर्शित किया जावे।
8. ग्राम में आगामी 20 वर्ष के सम्भावित विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं / विस्तार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रावधान कर जनसंख्या के अनुपात में विकास हेतु कौनसी आवश्यक सुविधायें कब-कब उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित होगी, का राजस्व नक्शे की ट्रेसिंग शीट पर अंकन कराया जावे। नजरी नक्शों में संलग्न प्रपत्रानुसार मानक सूचक (सिम्बल) दर्शाये जावें ताकि पूरे जिले में एक समान विलेज प्लान का नजरी नक्शे तैयार हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध समस्त सुविधाएं यथा स्कूल, प्राईमरी सेन्टर, पंचायत घर, पटवार घर, बैंक, डाकघर, विद्युत ग्रिड स्टेशन, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग का पंपिंग स्टेशन, पुलिस थाना, धार्मिक यथा मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिर्जाघर, मेला स्थल, कब्रिस्तान, शमशान घाट, छतरियां,

स्मारक, बावडियां, पुराने कुए, पनघट आदि विद्यमान सुविधाओं को ग्राम के विद्यमान नक्शों पर सिम्बल के द्वारा अंकित किया जाए तथा नदी एवं नालों को स्पष्ट अंकित कर उनके बहाव को दर्शाया जाए।

9. उक्त ग्राम सभा से अनुमोदित नक्शे को पंचायत समिति स्तर पर सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों की समिति से नियमानुसार परीक्षण करा कर पंचायत समिति स्तर का संकलित प्लान तैयार कराया जावे।
10. संकलित प्लान का पंचायत समिति स्तरीय साधारण सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जावे। अनुमोदित संकलित विलेज प्लान का पंचायती राज अधिनियम के परिपेक्ष्य में परीक्षण कराकर 1 माह या अधिक की निश्चित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु जन साधारण के समक्ष रखा जाकर प्राप्त आपत्तियों पर पुनः साधारण सभा में रख कर विलेज प्लान को अंतिम रूप दिया जावे।
11. उक्त गतिविधि के सम्पादन हेतु एक समय बद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जावे एवं उसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
12. गांव में विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता हेतु मानव एवं पशु जनसंख्या के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा नोर्मस निर्धारित किए हुए हैं। गांव की आबादी में अगले 20 वर्षों में होने वाले विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना तैयार की जावे।
13. गांव में उपलब्ध कृषि, खनिज, वन संसाधनों के गांव के विकास पर पडने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जावे। यथा यदि कोई गांव कुछ गांवों के केन्द्र में स्थापित है, जहां पर अन्य गांवों के कृषि उत्पाद आते हो तो ऐसा गांव मण्डी के रूप में विकसित हो सकता है। इसी प्रकार यदि कोई गांव खनिज सम्पदा से जुड़ा है तो वहां पर खनिज मण्डी का विकास हसे यकतस हैं इसी प्रकार कोई गांव दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है तो उस रूप में भी उस गांव का विकास सम्भावित हैं अतः बिन्दू का भी भावी योजना के तैयार करने में ध्यान रखा जावे।
14. गांव में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल यथा तालाब, बावडी, पहाड आदिको सुरक्षित रखने एवं विकसित करने बाबत भी ध्यान रखा जावे यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन स्थलों पर विकास की गति में कोई अतिक्रमण न हो।

15. जो गांव मुख्य राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, जिला स्तरीय एवं अन्य महत्वपूर्ण सडकों के समीप स्थित है, वहां यदि कोई विकास कार्य प्रस्तावित किया जावे तो नियमानुसार सडक के केन्द्र बिन्दु से दोनो ओर आवश्यक चौड़ाई निम्नानुसार छोड़ी जावे :-

सडक का प्रकार	केन्द्र बिन्दु से चौड़ाई	सडक के मार्गधिकार की चौड़ाई
राष्ट्रीय राजमार्ग	100 फीट	200 फीट
राज्य मार्ग	100 फीट	200 फीट
जिला स्तरीय सडके	50 से 60 फीट	100 से 120 फीट
अन्य महत्वपूर्ण सडके	30 से 40 फीट	60 से 80 फीट

अन्य सस्ते यथा संभव 30 फीट से 40 फीट चौड़े रखे जावे ताकि भविष्य मे यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।

इसके अलावा किसी क्षेत्र विशेष के लिए अलग से कोई प्रावधान/विनियम लागू होते हों तो सडक की चौड़ाई लागू विनियमों के अनुसार रखी जावे।

ऐसे गांव जो रेलवे के पास स्थित हो, उसमें रेलवे लाईन से दूरी राजस्थान भू-राजस्व नियमों के अनुसार छोड़े जाने के पश्चात ही विकास कार्य प्रस्तावित किये जावे।

16. ऐसे गांव जिनके समीप खान/औद्योगिक क्षेत्र से कच्चा माल लाने ले जाने के लिये सडके/रास्ते गांव की परिधि से बाहर हो। गांव के मध्य से टको आदि का आवागमन पर्यावरण की दृष्टि से यथासंभव निषेध किया जावे।
17. गांव के विकास की योजना तैयार करने मे पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी ख्याल रखा जावे।
18. जिन गांवों मे वर्तमान मे कोई पानी का तालाब पोखर आदि नही, जहां वर्षा के पानी को एकत्रित करने हेतु एनिकट, तालाब, पोखर आदि के लिए प्रावधान किया जावे।
19. गांव के विकास योजना मे आबादी विस्तार, बाजार आदि का भविष्य मे विस्तार हेतु प्रावधान किया जावे।
20. विलेज प्लान तैयार करते समय उक्त सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न सुविधाओं की उपलब्धता बाबत भी विचार किया जावे :-
 1. शाला मे प्ले ग्राउण्ड हेतु भूमि की उपलब्धता
 2. भविष्य मे शाला के विस्तार हेतु भूमि की उपलब्धता।
 3. भविष्य में चिकित्सालय भवन, पशु चिकित्सा केन्द्र, आंगनबाडी केन्द्र आदि के विस्तार हेतु भूमि की उपलब्धता।
 4. शमशान / कब्रिस्तान भूमि की उपलब्धता व चिन्हिकरण।
 5. सामुदायिक केन्द्र, बस स्टेण्ड आदि की उपलब्धता।

6. पेयजल योजना, विद्युत सब स्टेशन आदि के लिए भूमि की उपलब्धता।
7. मनोरंजन केन्द्र हेतु भूमि की उपलब्धता।
8. गांव में उपलब्ध पशुधन के चरने हेतु चरागाह भूमि की उपलब्धता।
9. व्यवसायिक केन्द्र हेतु भूमि की उपलब्धता आदि।

उक्त वर्णित सुविधाओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में विस्तार हेतु वांछित भूमि की गणना की जावे तथा वांछित अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता बाबत चर्चा की जावे।

21. अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता हेतु गांव के समीप उपलब्ध गोचर, सिवाय चक भूमि की स्थिति का आंकलन किया जावे तथा उसमें से कितनी भूमि विस्तार हेतु वांछित भूमि के लिए आवश्यक होगी, के प्रस्ताव तैयार किये जावे। गांव के विस्तार हेतु ली जाने वाली भूमि के यह ध्यान रखा जावे कि यदि चरागाह भूमि इस प्रयोजन हेतु ली जाती है तो भावी विकास में गांव में उपलब्ध पशुलधन को चरने में भूमि की उपलब्धता बाधक न बने।
22. उक्त वर्णित सूचनाओं को संकलित कर विलेज प्लान तैयार किया जावे। जिसमें उक्त वर्णित समस्त सूचनाओं का समावेश हो।
23. राजस्व पटवारी के पास उपलब्ध राजस्व खसरा नक्शे की प्रति ली जाकर उस पर वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं, गांव के विस्तार हेतु जोड़ी जाने वाली अतिरिक्त भूमि, वन भूमि, चरागाह भूमि, सिवाय चक भूमि आदि को स्पष्ट रूप से दर्शाया जावे। इस नक्शे में वर्तमान में उपलब्ध आबादी व सामुदायिक सुविधाओं का भी अंकन कराया जावे। भविष्य में गांव में जोड़ी जाने वाली गतिविधियों को भी प्रस्तावित आबादी विस्तार भूमि पर स्पष्ट रूप से दर्शाया जावे। भावी विकास योजना के तैयार करने में वांछित सड़क, नाली, खुली जगह आदि की उपलब्धता नियमानुसार सुनिश्चित की जावे। जहां तक ग्रामीण विकसित आबादी क्षेत्र का प्रश्न है, इस क्षेत्र को गूगल अर्थ से प्राप्त नक्शों के जरिये उपयुक्त पैमाने पर बनाये जावे अथवा इस आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण कर उसका नक्शा बनाया जावे। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र एवं उसके आसपस के क्षेत्र में स्थित सिवाय चक भूमि चारागाह भूमि, वन विभाग की भूमि एवं नदी, नाले, तालाब, पहाड़ी, टीले आदि की भूमि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जावे।

वर्तमान में राज्य के 10,000 से अधिक जनसंख्या के 88 ग्रामों के मास्टर प्लान नगरीय विकास विभाग के द्वारा मुख्य नगर नियोजक राजस्थान के माध्यम से तैयार किये जा रहे हैं। मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान के स्तर से ग्राम तुंगा

(6)

पंचायत समिति बरसी जिला जयपुर का मॉडल मास्टर प्लान तैयार कराया गया है, जो संलग्न है।

राजस्थान के समस्त गांवों का एक साथ मास्टर प्लान बनाया जाना है। अतः संलग्न प्रपत्र में आवश्यक सूचना संकलित कराकर नगर नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये मॉडल मास्टर प्लान अनुसार प्रत्येक जिले के सभी गांवों का मॉडल मास्टर प्लान तैयार किया जावे।

इस गतिविधि के सम्पादन हेतु जिला कलेक्टर चयनित गांव हेतु एक प्रभारी अधिकारी मनोनीत करेंगे, जिनके निर्देशन में यह कार्यवाही सुनिश्चित होगी। इस गतिविधि के सम्पादन हेतु एक समय बद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जावे एवं उसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। यह कार्यवाही 15 अक्टूबर 2011 तक सुनिश्चित की जावे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(सी.एस. राजन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

10

ग्रामीण क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम

क0स0	मास्टर प्लान हेतु प्रस्तावित गतिविधि	संभावित अवधि	प्रस्तावित कार्यक्रम
1	विलेज प्लान को तैयार करने हेतु वार्ड सभा का आयोजन एवं ग्रामीण विकसित आबादी क्षेत्र का मौके का सर्वेक्षण कर राजस्व नक्शे की प्रति पर अंकन किया जाना।	7 दिन	14 जुलाई से 22 जुलाई,
2	मास्टर प्लान के संबंध में चर्चा हेतु पंचायत सदस्यों, कनिष्ठ अभियन्ता, पटवारी, आदि कर्मचारियों एवं प्रतिष्ठित ग्रामवासियों की उपस्थिति में पंचायत मुख्यालय पर वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजना तैयार करने के लिए वांछित सुविधाओं की लोकेशन के निर्धारण हेतु बैठक का आयोजन।	1 दिन	25 जुलाई
3	गांव में आबादी विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो तो गांव के समीप उपलब्ध सिवाय चक, चरागाह भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु प्रस्ताव तैयार कर विकास अधिकारी के माध्यम से तहसील / उपखण्ड कार्यालय में प्रेषित करना।	4 दिन	26 जुलाई से 29 जुलाई,
4	मास्टर प्लान हेतु राजस्व खसरा नक्शों की प्रति पर आबादी भूमि के विस्तार हेतु प्रस्तावित भूमि के उपयोग हेतु योजना तैयार कर विलेज प्लान का प्रारूप तैयार करना।	7 दिन	1 अगस्त, से 9 अगस्त,
5	तैयार किये गये विलेज प्लान पर ग्राम सभा की बैठक में विस्तृत चर्चा कराकर	1 दिन	11 अगस्त,

	ग्राम सभा से अनुमोदन करवाना।			
6	ग्राम सभा से अनुमोदित विलेज प्लान का एक नक्शा ग्राम पंचायत तथा एक नक्शा गांव के किसी प्रमुख स्थान पर जहां पर वह सुरक्षित रह सके, जन सामान्य के सुझाव एवं आपत्ति हेतु प्रदर्शित करना।	15 दिन	12 अगस्त, से 25 अगस्त,	
7	ग्राम में आगामी 20 वर्ष के सम्भावित विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं / विस्तार, के मानक सूचक (सिम्बल) को राजस्व नक्शे की ट्रेसिंग शीट पर अंकन कराना।	7 दिन	26 अगस्त से 2 सितम्बर,	
8	ग्राम सभा से अनुमोदित नक्शे को पंचायत समिति स्तर पर नगर नियोजक के प्रतिनिधि एवं सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों की समिति से परीक्षण करार संकलित प्लान तैयार कराना।	7 दिन	2 सितम्बर, से 13 सितम्बर,	
9	संकलित प्लान का पंचायत समिति स्तरीय साधारण सभा से अनुमोदन प्राप्त कराना।	1 दिन	15 सितम्बर,	
10	अनुमोदित संकलित विलेज प्लान का पंचायती राज अधिनियम के परिपेक्ष्य में परीक्षण करारकर 1 माह या अधिक की निश्चित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु जन साधारण के समक्ष रखा जाकर प्राप्त आपत्तियों पर पुनः साधारण सभा में रख कर विलेज प्लान को अंतिम रूप दिया जाना।	1 माह	15 अक्टूबर 2011	

(8)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विलेज प्लान तैयार करने के लिये आवश्यक ग्राम विवरणिका व नजरी नक्शा
हेतु निर्देश

(I) प्रशासनिक संरचना :-

1. ग्राम का नाम
2. ग्राम में वार्डों की संख्या
3. ग्राम पंचायत का नाम
4. पंचायत समिति
5. यह ग्राम गांधी ग्राम में आता है या नहीं ? हां / नहीं
6. जिला का नाम

● जनसंख्या संबंधी सूचना

क्र०सं०	ग्राम/आबादी के रूप में स्वीकृत ढाणी का नाम	2011 की अनुमानित जनसंख्या			20 वर्ष पश्चात सम्भावित जनसंख्या		
		महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
	कुल योग						

नोट :-

1. सन् 2011 की अनुमानित जनसंख्या निकालने के लिए सन् 2001 की जनसंख्या में 30 प्रतिशत जोड़ा जाये। जन संख्या संबंधी सूचना जनगणना 2001 अथवा जनगणना 2011 के आकड़ों से संकलित की जाये।
2. 20 वर्ष बाद की अनुमानित जनसंख्या की गणना करने के लिये अनुमानित जनसंख्या सन् 2011 में 50 प्रतिशत अतिरिक्त जनसंख्या और जोड़ी जायें।
3. गांव की प्रशासनिक संरचना व अन्य बिन्दु संबंधी सूचना मुख्यमंत्री ई ग्राम वेब साईट से संकलित की जा सकती है।

ग्राम की पशुधन संख्या

क्र०सं०	वर्गीकरण	वर्तमान पशुधन संख्या	20 वर्ष पश्चात सम्भावित पशुधन संख्या
1.	गाय		
2.	भैंस		
3.	बकरी		
4.	भेड़		
	योग		
5.	अन्य पशु		
	महायोग		

नोट :-

1. सन् 2011 की अनुमानित जनसंख्या निकालने के लिए पशुधन जनगणना सन् 2008 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर में अनुपातिक ली जाकर संकलित की जाये।

(I) आधारभूत सुविधाओं की स्थिति :-

यदि वर्तमान में आधारभूत सुविधा उपलब्ध हो तो निम्न सारणी में ✓ का निशान लगायें और यदि नहीं हो तो X का निशान लगायें।

नोट :-

- ❖ विभिन्न प्रकार की आधारभूत सुविधाओं के लिये संबंधित विभाग / बोर्ड / संस्थाएं/बैंक आदि की नीति के अनुसार निर्धारित मानदण्ड पूरे हों एवं उक्त आधारभूत सुविधायें स्वीकृत होने की संभावना हो तभी उनकी आवश्यकता दर्शाई जावे अन्यथा नहीं।
- ❖ तात्कालिक/भावी आधारभूत आवश्यकता बताते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जावे कि उक्त सुविधा वर्तमान में पंचायत मुख्यालय पर है या नहीं। यदि वर्तमान में पंचायत मुख्यालय पर उक्त आधारभूत सुविधा हो तो तात्कालिक/भावी आवश्यकता केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिखाई जावे जब सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पंचायत मुख्यालय के साथ ग्राम में भी उसके स्वीकृत होने का पूर्ण औचित्य हो।
- ❖ इस बिन्दू संबंधी सूचना मुख्यमंत्री ई ग्राम वर्जन 2 वेबसाईट से संकलित की जा सकती है।

क्र.सं.	आधारभूत सुविधा का नाम	वर्तमान में है या नहीं	तात्कालिक आवश्यकता है या नहीं	अगले 20 वर्षों में आवश्यकता है या नहीं	विशेष विवरण / अगर ग्राम में सुविधा नहीं है तो सुविधायुक्त नजदिकी ग्राम का नाम	सुविधायुक्त नजदिकी ग्राम से दूरी कि.मी. में
1.	शिक्षा से संबंधित					
	क -प्राथमिक विद्यालय					
	ख-उच्च प्राथमिक विद्यालय					
	ग-माध्यमिक विद्यालय					

	घ-उच्च मा0 विद्यालय					
	ड- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान					
	च- कॉलेज					
	छ- गैर सरकारी विद्यालय					
2.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य					
	क-उपस्वास्थ्य केन्द्र					
	ख-एड पोस्ट (कमोन्नत उ0स्वा0 केन्द्र)					
	ग-प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र					
	ध-ब्लॉक प्रा0 स्वा0 केन्द्र					
	ड-सामुदायिक स्वा0 केन्द्र					
	च-गैर सरकारी चिकित्सालय					
3.	पशुधन एवं डेयरी विकास					
	क-उपस्वास्थ्य					
	ख-पशु चिकित्सा केन्द्र					
	ग- गोशाला					
4.	पेय जल स्रोत					
	क- कार्यरत हैंड पम्प की संख्या					
	ख-पम्प एवं टैंक					
	ग-नल और पेयजल टंकी					
	घ-पेयजल स्कीम					
5.	विद्युत					
	क-11 केवी सब स्टेशन					
	ख- 33 केवी सब स्टेशन					
	ग-220 केवी सब स्टेशन					
	घ-440 केवी सब स्टेशन					
6.	यातायात					
	क- बस सेवा है या नहीं					
	ख-बसस्टैंड					
	ग-टैक्सी स्टैंड					
	घ-क्या पक्की सडक से जुडा है					
	ड-क्या WBM सडक से जुडा है					
	च- क्या ग्रेवल सडक से जुडा है					
	छ- रेल्वे स्टेशन					
	ज- यात्री प्रतीक्षा शेड उपलब्ध है या नही					
7.	रिक्तियेशन (आमोद-प्रमोद) की					

	सुविधायें					
	क- पार्क					
	ख- सामुदायिक केन्द्र					
	ग- खेल का मैदान					
	घ- खेल का सामान					
	ङ- सिनेमा हॉल					
	च- मिनी सिनेमा हॉल					
	छ- अखाडा					
8. 1	सरकारी कार्यालय					
	क- पटवार घर					
	ख- पंचायत भवन					
	ग- आंगनवाडी / मिनी आंगनवाडी केन्द्र					
	घ- कृषि उपकेन्द्र					
	ङ- डाकघर					
	च- पुलिस थाना					
	छ- पुलिस चौकी					
	ज- बैंक भवन					
	झ- सहकारी समिति कार्यालय					
	ण- दुग्ध संग्रहण केन्द्र					
	त- गोदाम					
8.2	अधि० / कर्मचारी आवास गृह					
	क- चिकित्सक आवास					
	ख- ए०एन०एम० आवास					
	ग-पशु चिकित्सक का आवास					
	घ- कम्पाउण्डर का आवास					
	ङ- गिरदावर का आवास					
	च- पटवारी / ग्राम सेवक आवास					
9.	अन्य सुविधायें					
	1. सामुदायिक शौचालय					
	2. शमशान					
	3. कब्रिस्तान					
	4. व्यवसाय केन्द्र					
	5. पशु चारागाह					
	6. बावडी					
	7. जोहड					
	8. सार्वजनिक कुआँ					
	9. तालाब					
	10. एनीकट					
	11. खनिज मण्डी					
	12. लघु उद्योग केन्द्र					

13.	सिचाई बांध					
14.	टेलिफोन एक्सचेंज					
15.	ईन्टरनेट सुविधा					
16.	कॉमन सर्विस सेन्टर					
17.	औद्योगिक ईकाई					
18.	राजीव गांधी सेवा केन्द्र					
19.	Villager हाट					
20.	कृषी उपज मण्डी / यार्ड					

(III) कुल राजकीय भूमि :-

क्र.सं.	वर्गीकरण	राजस्व रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल	
		हेक्टेयर में	बीघा में
1.	वर्तमान कुल आबादी भूमि		
2.	सिवायचक भूमि		
3.	गैर मुमकिन जोहड		
4.	गैर मुमकिन नाला		
5.	गैर मुमकिन बीहड		
6.	गैर मुमकिन पहाड		
7.	गैर मुमकिन रूध		
8.	गैर मुमकिन चारागाह		
9.	वन भूमि		
10.	गैर मुमकिन नदी		
11.	औद्योगिक क्षेत्र		
12.	खनन क्षेत्र		
13.	व्यवसायिक भूमि		
	योग		

नोट :-

- ❖ इस बिन्दू संबंधी डिजीटाईज सूचना भू- अभिलेख कम्प्युटिकरण योजना में जियोलोजिकल ऑफ इण्डिया, वाटर शेड मेप, इरिगेशन विभाग, उद्योग विभाग एवं सैटेलाईट इमेज गुगल अर्थ मुख्यमंत्री ई ग्राम वेब साईट से संकलित की जा सकती है।

(IV) – विलेज प्लान हेतु उपलब्ध भूमि :-

क्र.सं.	वर्गीकरण	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	
			हेक्टेयर में	बीघा में
1.	वर्तमान आबादी में उपलब्ध खाली भूमि			
2.	परिधि क्षेत्र में उपलब्ध सिवायचक भूमि			
	योग			

नोट :- परिधि क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी नजरी नक्शा बनाने हेतु दिये गये दिशा निर्देशों में वर्णित कर संलग्न है।

(V) – भूमि की आवश्यकता :-

क.सं.	वर्गीकरण	रकबा	क्षेत्रफल	
			हैक्टेयर में	बीघा में
1.	आबादी विस्तार हेतु			
2.	सरकारी कार्यालयों एवं अन्य सुविधा हेतु			
3.	सरकारी चिकित्सा सुविधा हेतु			
4.	व्यावसायिक केन्द्रों हेतु			
5.	खेल मैदान हेतु			
6.	आमोद प्रमोद के साधनों हेतु			
7.	यातायात सुविधाओं हेतु			
8.	गांव में से निकल रही सड़कों के किनारे नियमानुसार भूमि छोड़ने हेतु			
9.	रेल्वे लाईन के लिये नियमानुसार भूमि छोड़ने हेतु			
10.	अन्य सुविधाओं हेतु गौशाला			
11.	PHED पेयजल योजना हेतु			
12.	स्कूल / कॉलेज / छात्रावास सुविधा हेतु			
	योग			

(VI) – विभिन्न प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि :-

क.सं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल		प्रयोजन जिसके लिये आरक्षित किया गया है।
		हैक्टेयर में	बीघा में	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	योग			

(VII) – विलेज प्लान अनुसार भूमि की आवश्यकता व उपलब्धता का ब्यौरा (बिन्दु संख्या (IV) एवं (VI) के अनुसार) भिन्न प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि :-

क – विलेज प्लान हेतु उपलब्ध भूमि

ख – विभिन्न प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि

ग – योग:- क + ख =

घ – तात्कालिक / भावी आवश्यकतानुसार आवश्यक भूमि =

(VIII) – आवश्यकता अनुसार भूमि के आधिक्य अथवा कमी का ब्यौरा

(+ / -)है0 बीघा आधिक्य अथवा कमी
ग - ध =

नोट :- यदि आवश्यकतानुसार भूमि कम पाई गई है तो यह अंकित करें कि परिधि क्षेत्र में सरकारी भूमि के किस्म परिवर्तन के पश्चात क्या मांग की गई भूमि की पूर्ति की जा सकती है ?

(IX) – जमीन का ब्यौरा जिसके किस्म परिवर्तन करने के पश्चात भूमि की कमी की पूर्ति की जा सकती है :-

क.सं.	किस्म जमीन	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल		किसा प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जावेगी।
			हेक्टेयर में	बीघा में	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
योग					

(X) – तात्कालिक आवश्यकतानुसार ग्राम में उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं हेतु चिन्हीत स्थान का विवरण :-

क.सं.	उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधा का विवरण	चिन्हीत स्थान	चिन्हीत किये गये भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग गज में	नजरी नक्शा में दर्शाया गया रंग / निशान
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
		योग =	वर्गगज	= बीघा

(XI) – मूलभूत सरकारी कार्यालयों से ग्राम की दूरी :-

क्र.सं.	सरकारी कार्यालय का नाम	ग्राम से दूरी कि०मी० में (अनुमानित)
1.	तहसील / उप तहसीले	
2.	पंचायत समिति	
3.	सहायक कलक्टर	
4.	उपखण्ड कार्यालय	
5.	पुलीस थाना	
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
7.	सामुदायिक स्वा० कन्द्र	
8.	पुलिस अधीक्षक / अति० अधीक्षक कार्यालय	
9.	जिला कलक्टर कार्यालय	
10.	सामान्य चिकित्सालय/ जनाना अस्पताल	
11.	न्यायालय सिविल जन (कनिष्ठ खण्ड)	
12.	न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	
13.	न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	
14.	न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश	
15.	बैंक / कॉपरेटिव बैंक	
16.	पोस्ट ऑफिस	
17.	कृषि उपज मण्डी	
18.	कॉमन सर्विस सेन्टर	
19.		

(XII) – नजरी नक्शे संबंधी दिशा निर्देश :-

1. नजरी नक्शा सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों, कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति, गिरदावर पंचायत सचिव आदि से विचार विमर्श करने के बाद ही बनाया जावे।
2. विलेज प्लान तैयार करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति को प्रभारी नियुक्त किया जावे, जिसकी मार्ग दर्शन मे ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा वार्ड पंच, सरपंच, जन प्रतिनिधि एवं स्थानीय गणमान्य नागरिकों के सहयोग से विलेज प्लान उक्तानुसार तैयार कराया जावे।
3. नजरी नक्शे में सर्वप्रथम बाई तरफ दिशा सूचक चिन्ह बनाया जावे। (ऊपर उत्तर दिशा दर्शाई जावे)
4. नजरी नक्शा ट्रेसिंग शीट पर (30 X 20 इंच) गांव के राजस्व मेप की प्रति लेकर बनाया जावे।
5. ट्रेसिंग शीट पर राजस्व नक्शे मे वर्तमान उपलब्ध सुविधाएं एवं आबादी क्षेत्र की मौका स्थिति पहले पेंसिल से दर्शाई जावे।
6. नजरी नक्शे में आबादी के रूप में स्वीकृत सभी ढाणियों को दर्शाया जावे एवं गांव से जोडने वाली समस्त सडको/रास्तों को उपलब्ध चौड़ाई के साथ अनुपातिक माप मे नजरी नक्शे पर दर्शाया जावे।

7. आबादियों की परिधि में किसी भी स्थिति में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नहीं किया जावे। परिधि में आने वाले खसरा नम्बर एवं उनका क्षेत्रफल दर्शाया जावे।

नोट:- ग्राम के अन्तर्गत आने वाली आबादी का रूप में स्वीकृत ढाणियों की परिधि को भी आवश्यक रूप से दर्शाया जावे।
















8. चूंकि अलवर जिले की कुछ तहसील क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी परियोजना के उपनगरीय क्षेत्र में आती हैं व शेष तहसीलें भी अगले 20 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की पूर्ण सम्भावना है अतः ग्राम में से जाने वाली सड़कों के निम्न तालिका के अनुसार मानदण्ड रखे जाने आवश्यक हैं। सड़कों की इन चौड़ाईयों में कोई आधारभूत सुविधा चिन्हीत नहीं की जावेगी।

क.सं.	सड़क का प्रकार	सड़क के केन्द्र बिन्दु से दूरी	हरित पट्टी (कालम संख्या 3 की दूरी के अतिरिक्त)	केन्द्र बिन्दु से कुल दूरी (एक तरफ)	हरित पट्टी सहित दोनों तरफ की कुल चौड़ाई
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे)	165 फिट	200 फिट	365 फिट	720 फिट
2.	राज्य राजमार्ग (स्टेट हाईवे)	75 फिट	200 फिट	275 फिट	550 फिट
3.	जिला स्तरीय सड़के	50 से 60 फिट	शून्य	50 से 60 फिट	100 से 120 फिट
4.	अन्य महत्वपूर्ण सड़के	30 से 40 फिट	शून्य	30 से 40 फिट	60 से 80 फिट
5.	अन्य रास्ते	20 फिट	शून्य	20 फिट	40 फिट
6.	रेल्वे लाइन	100 फिट	शून्य	100 फिट	200 फिट
7.	आबादी क्षेत्र में अन्दरूनी सड़क	15 फिट (कम से कम 30 फिट चौड़ी)	शून्य	15 फिट	30 फिट (कम से कम)





















9. नजरी नक्शे में मौहल्लों को नाम सहित एवं गलियों को चौड़ाई सहित दर्शाया जावे।
10. तैयार किये गये नजरी नक्शे पर संबंधित वार्ड सभा में चर्चा करा कर सुझाव / आपत्तियां प्राप्त की जाकर संकलित सुझाव एवं आपत्तियों पर ग्राम सभा में रख कर अनुमोदन कराया जावे।
11. ग्राम सभा से अनुमोदित विलेज प्लान को पंचायत समिति स्तर पर सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों की समिति से नियमानुसार परिक्षण करा कर विलेज प्लान को डिजीटाईज कराकर पंचायत समिति स्तर का संकलित प्लान तैयार कराया


जावे। इस संकलित प्लान का पंचायत समिति स्तरिय साधारण सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जावे।

12. अनुमोदित संकलित विलेज प्लान को 1 माह की अवधि में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु जन साधारण के समक्ष किया जावे। तदुपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर पुनः साधारण सभा में रख कर विलेज प्लान को अंतिम रूप दिया जावे।
13. उक्तानुसार तैयार किये गये विलेज प्लान के आधारपर ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु विस्तृत विभागवार कार्ययोजना तैयार कराई जानी चाहिए जिससे क्षेत्र की आवश्यकता एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप पर आम जनता को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
14. नजरी नक्शों में संलग्न तालिका के अनुसार सूचक (सिम्बल) दर्शाये जावें ताकि पूरे जिले में एक समान विलेज प्लान का नजरी नक्शे तैयार हो सकें। ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध समस्त सुविधाएं यथा स्कूल, प्राईमरी सेन्टर, पंचायत घर, पटवार घर, बैंक, डाकघर, विद्युत ग्रिड स्टेशन, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग का पंपिंग स्टेशन, पुलिस थाना, धार्मिक यथा मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिर्जाघर, मेला स्थल, कब्रिस्तान, शमशान घाट, छतरियां, स्मारक, बावडियां, पुराने कुए, पनघट आदि विद्यमान सुविधाओं को ग्राम के विद्यमान नक्शों पर सिम्बल के द्वारा अंकित किया जाए तथा नदी एवं नालों को स्पष्ट अंकित कर उनके बहाव को दर्शाया जाए।
15. वर्तमान में प्रथम चरण में 10,000 से अधिक जनसंख्या के 88 ग्रामों के मास्टर प्लान नगरीय विकास विभाग के द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त पांच हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों के प्लान द्वितीय चरण में तैयार किया जाने है। गांवों के मास्टर प्लान खसरा नक्शों के उपर बनाये जाने चाहिए। जहां तक ग्रामीण विकसित आबादी क्षेत्र का प्रश्न है, इस क्षेत्र को गूगल अर्थ से प्राप्त नक्शों के जरिये उपयुक्त पैमाने पर बनाये जावे अथवा इस आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण कर उसका नक्शा बनाया जावे। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र एवं उसके आसपस के क्षेत्र में स्थित सिवाय चक भूमि चारागाह भूमि, वन विभाग की भूमि एवं नदी, नाले, तालाब, पहाड़ी, टीले आदि की भूमि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जावे।
16. ग्राम विशेष की मौजूदा समस्याओं को चिन्हित कर उनको तालिका बद्धकिया जाए तथा इन समस्याओं के व्यावहारिक समाधान तथा सुझाव प्रस्तुत किये जाएं तथा समस्याओं को दूर किये जाने के लिए योजना की क्रियान्विति चरणबद्ध रूप से प्रस्तावित की जाए।
17. भूजल पुर्नग्रहण भी एक बड़ी समस्या है अतः प्लान बनाते समय ड्रेनेज प्लान बनाया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्र में जल पुर्नग्रहण हेतु स्थानों को चिन्हित किया जाकर भूजल पुर्नभरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गांव को प्रमुख सड़कों से जोडना हेतु डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क प्लान बनाया जाए।
18. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान के स्तर से ग्राम तुंगा पंचायत समिति बरसी जिला जयपुर का मोडल मास्टर प्लान तैयार कराया गया है, जो संलग्न कर यह अपेक्षा है कि मास्टर प्लान तैयार करने में जिला स्तर पर उपलब्ध नगर नियोजन, विभाग के अधिकारियों से आवश्यक तकनीकी मार्ग दर्शन प्राप्त किया जावे।

क्र.सं.	स्थान का वर्णक (Symbol)	चिह्न (Symbol)
1	पक्का मकान	
2	कच्चा मकान	
3	छतरी	
4	मन्दिर	
5	मस्जिद	
6	डाकघर	
7	तारघर	
8	पुलिस थाना	
9	कब्रिस्तान	
10	शमशान	
11	राजीव गांधी स्कूल	
12	आंगनवाडी केंद्र	
13	प्राथमिक विद्यालय	
14	उप्राथमिक विद्यालय	
15	माध्यमिक विद्यालय	

15	उ०मा० विधालय	
16	महाविधालय	
17	प्राथमिक स्वा० केन्द्र	
18	चिकित्सालय	
19	मातृ शिशु स्वा० केन्द्र	
20	पशु चिकित्सालय	
21	विजली का खम्भा	
22	टेलीफोन खम्भा	
23	उच्च विधुत खम्भा	
24	उच्च विधुत लाईन	
25	पहाड़	
26	ढीबें	
27	कुएँ	
28	बड़े वृक्ष	
29	बैलगाड़ी का कच्चा रास्ता	
30	पक्की सड़कें	
31	राष्ट्रीय राज मार्ग (नेशनल हाईवे)	
32	राज्य राज मार्ग (स्टेट हाईवे)	
33	पुल	
34	रेल्वे लाईन	

35	लेवल कोसिंग	
36	सड़क के सहारे नाला	
37	कच्चा नाला	
38	पक्का नाला	
39	घना जंगल	
40	खानक्षेत्र	
41	पानी में डूबा क्षेत्र	
42	तालाब	
43	जोहड़	
44	बावड़ी	
45	चारागाह	
46	सार्वजनिक कुँआ	
47	नदी	
48	दुकान	
49	लघु उद्योग	
50	खनिज मण्डी	
51	कृषि उपज मण्डी (सत याड)	
52	कृषि उपज मण्डी, सड़क	
53	उपरवाथ्य केन्द्र (चिकित्सा)	
54	उपरवाथ्य केन्द्र (पशु)	



VILLAGE DEVELOPMENT PLAN -2031

TOONGA VILLAGE

TEHSIL - BASSI

DISTRICT - JAIPUR



TOWN PLANNING DEPARTMENT, JAIPUR

ग्राम- तूंगा

तहसील- बस्सी

जिला- जयपुर

मॉडल ग्राम मास्टर विकास योजना- 2031

(अन्तरीम रिपोर्ट)

द्वारा:-

- नगर नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- जिला परिषद, जयपुर

















TOONGA तूंगा

REGIONAL SETTING MAP


प्रादेशिक अवस्थिति मानचित्र

LEGEND:

संकेत


-  DISTRICT HEAD QUARTER
-  जिला मुख्यालय
-  OTHER MAJOR TOWNS/VILLAGES
-  अन्य मुख्य कस्बे / गाँव
-  TOONGA VILLAGE
-  ग्राम तूंगा
-  DISTRICT BOUNDARY
-  जिला सीमा
-  NATIONAL HIGHWAY
-  राष्ट्रीय राजमार्ग
-  STATE HIGHWAY
-  राज्य राजमार्ग
-  OTHER MAJOR ROADS
-  अन्य मुख्य सड़के
-  RAILWAY LINE
-  रेलवे लाईन

NOT TO SCALE



TOWN PLANNING DEPARTMENT,
JAIPUR





- मुख्य स्थलों की सूची**
1. मन्दिर गानधन जी
 2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय
 3. प्राचीन बावड़ी
 4. जेठोडी इन्टरमिडियट कलेज
 5. मन्दिर कोट के बालाजी
 6. प्रशासन घाट
 7. ग्राम पंचायत
 8. पशु चिकित्सालय
 9. मुख्य बाजार
 10. राजकीय सीनियर सेकण्डरी स्कूल
 11. पंचर हाउस
 12. कारिस्थान
 13. डूडो भीमराव अम्बेकर यात्रावास
 14. युनिवर्सिटी चौकी
 15. पटवार घर
 16. सहकारी सेवा समिति
 17. प्रशासन घाट
 18. आदर्श प्राइमरी हेल्थ सेन्टर
 19. जन स्वास्थ्य अभियानिकी कार्यालय
 20. इमर्जेन्सी बंगला
 21. पूजा पहाड़ी
 22. बवाल कौलोनी
 23. पारिक भौहला
 24. गोदाले का भौहला
 25. मानी कौलोनी
 26. पटेल नगर कौलोनी
 27. रेशम भौहला
 28. धानका भौहला
 29. न्यू कौलोनी
 30. हरिजन भौहला
 31. लक्ष्मी विहार
 32. जयपुर ग्रामीण बैंक
 33. वृन्दावन धाम टिन्डी अवासीय योजना
 34. पेटेल पम्प वीथी/सीडरला
 35. श्री शिवनाथ मठारव मन्दिर
 36. कृषि सेवा केन्द्र
 37. गौरव परिवारक सीडो सीड स्कूल
 38. राजकीय महिला विद्यालय
 39. जैन भौहला
 40. चारभुजा मन्दिर
 41. सरस्वती स्कूल
 42. सेठ राजेश्वरी धर्मशाला
 43. 132 कौलोनी सार स्टेसन
 44. एमडीओ महिला छात्रावास
 45. जलशाय
 46. मन्दिर ढण्ड का बालाजी
 47. प्रस्तावित योजना

TONGA

तूंगा


VILLAGE PLAN

ग्राम योजना मानचित्र

GENERALISED EXISTING LAND USE & PROPOSAL

सामान्यकृत विद्यमान भू-उपयोग एवं प्रस्ताव

- RESIDENTIAL
आवासीय
- COMMERCIAL
व्यावसायिक
- GOVERNMENT OFFICES
राजकीय कार्यालय
- EDUCATIONAL & INSTITUTIONAL
शैक्षणिक एवं संस्थागत
- HOSPITAL AND DISPENSARIES / VETERINARY
चिकित्सालय एवं दियेन्सरी / पशु चिकित्सालय
- RELIGIOUS PLACES AND HISTORICAL MONUMENTS
धार्मिक स्थल एवं ऐतिहासिक स्मारक
- CREMATION AND BURIAL GROUNDS
शमशान एवं कब्रिस्तान
- PUBLIC UTILITIES
सार्वजनिक सुविधाएँ
- WATER BODY
जलशय
- SOCIAL FORESTRY AREA / PROPOSED PLANTATION
सामाजिक वानिकी क्षेत्र / प्रस्तावित वृक्षारोपण
- FOREST AREA
वन क्षेत्र
- CULTIVATED LAND
कृषि भूमि
- VILLAGE BOUNDARY
ग्राम सीमा
- PROPOSED DEVELOPMENT AREA
प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र
- ROADS / SECTORS
- EXISTING ROAD
विद्यमान सड़क
- PROPOSED ROAD
प्रस्तावित सड़क



ASST. TOWN PLANNER DEPUTY TOWN PLANNER

TOONGA

तूंगा

VILLAGE PLAN (PART)

ग्राम योजना मानचित्र (पार्ट)

GENERALISED EXISTING LAND USE & PROPOSAL

सामान्यकृत विद्यमान भू-उपयोग एवं प्रस्ताव

RESIDENTIAL

आवासीय

COMMERCIAL

व्यवसायिक

GOVERNMENT OFFICES

राजकीय कार्यालय

EDUCATIONAL & INSTITUTIONAL

शैक्षणिक एवं संस्थानिक

HOSPITAL AND DISPENSARIES / VETERINARY

चिकित्सालय एवं वैद्यकीय / पशु चिकित्सालय

RELIGIOUS PLACES AND HISTORICAL MONUMENTS

धार्मिक स्थल एवं ऐतिहासिक स्मारक

CREMATION AND BURIAL GROUNDS

स्मरान एवं कब्रिस्तान

PUBLIC UTILITIES

सार्वजनिक सुविधाएँ

WATER BODY

जलशय

SOCIAL FORESTRY AREA / PROPOSED PLANTATION

सामाजिक वानिकी क्षेत्र / प्रस्तावित वृक्षारोपण

FOREST AREA

वन क्षेत्र

CULTIVATED LAND

कृषि भूमि

VILLAGE BOUNDARY

ग्राम सीमा

PROPOSED DEVELOPMENT AREA

प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र

ROADS / सड़कें

EXISTING ROAD

विद्यमान सड़क

PROPOSED ROAD

प्रस्तावित सड़क

1 HECTARES

10 ACRES

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

मुख्य स्थलों की सूची

1. मन्दिर समूह-2 जी
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय
3. प्राचीन बाइबी
4. जेभीड इंटरनेशनल कालेज
5. मन्दिर कोट के बलाजी
6. रमशान घाट
7. ग्राम पंचायत
8. पशु चिकित्सालय
9. मुख्य बाजार
10. राजकीय सीनियर सेकण्डरी स्कूल
11. पोखर हाउस
12. कब्रिस्तान
13. 800 बीमराव अम्बेडकर छात्रावास
14. पुलिस चौकी
15. बटवार घर
16. सहकारी सेवा समिति
17. रमशान घाट
18. आदर्श प्राइमरी हेल्थ सेन्टर
19. जन स्वास्थ्य अभियंत्रण की कार्यालय
20. इमलीवाला बाग
21. तूंगा पहाड़ी
22. बयाल कोलोनी
23. वारीक मोहल्ला
24. नाइयो का मोहल्ला
25. माली कोलोनी
26. पटेल नगर कोलोनी
27. रंग मोहल्ला
28. धानका मोहल्ला
29. न्यू कोलोनी
30. हरिजन मोहल्ला
31. लक्ष्मी विहार
32. जयपुर ग्रामीण बैंक
33. वृन्दावन धाम निजी आवासीय योजना
34. पेटोल पम्प बीपीसी/एल/ए
35. श्री विद्यवाध महादेव मन्दिर
36. कृषि सेवा केंद्र
37. गीरव पब्लिक सी0 से0 स्कूल
38. राजकीय महिला विद्यालय
39. जैन मोहल्ला
40. चारपुजा मन्दिर
41. सरस्वती स्कूल
42. सेठ वाकुरीया धर्मशाला



TOWN PLANNING DEPARTMENT RAJASTHAN

ASST. TOWN-PLANNER




DEPUTY TOWN-PLANNER

TONGA

तूंगा

SURVEY MAP

सर्वेक्षण मानचित्र



ASST. TOWN PLANNER

DEPUTY TOWN PLANNER

TOWN

PLANNING

DEPARTMENT

RAJASTHAN

TOONGA









तूंगा


PROPOSED SCHEME

प्रस्तावित योजना

PROPOSED LAND USE


प्रस्तावित भू-उपयोग

-  RESIDENTIAL
आवासीय
-  COMMERCIAL
व्यावसायिक
-  GOVERNMENT & SEMI GOVERNMENT OFFICES
सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालय
-  EDUCATIONAL & INSTITUTIONAL
शैक्षणिक एवं संस्थानिक
-  HOSPITAL / DISPENSARY / VETERINARY
चिकित्सालय / डिस्पेंसरी / पशु चिकित्सालय
-  OTHER COMMUNITY FACILITIES
अन्य सामुदायिक सुविधायें
-  PARK/CHOWK/ OPEN SPACES AND STADIUM
पार्क / चौक / खुले स्थल एवं स्टेडियम
-  RESERVED FOR FUTURE ACTIVITY
आरक्षित भूमि



MILES
KILOMETERS 1/2

ASST. TOWN PLANNER
DEPUTY TOWN PLANNER



क्षेत्रफल विशलेषण	
योजना का कुल क्षेत्रफल = 270690 वर्गमीटर	
क्र.सं.	क्षेत्रफल वर्गमीटर
1	आवासीय 1 7.00 MT. X 15.00 MT. = 221 11 9.00 MT. X 18.00 MT. = 43 11 12.00 MT. X 22.00 MT. = 44 व्यावसायिक सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालय शैक्षणिक एवं संस्थानिक चिकित्सालय / डिस्पेंसरी / पशु चिकित्सालय अन्य सामुदायिक सुविधायें पार्क, खुला स्थल एवं स्टेडियम आरक्षित भूमि सं.सं.
2	1612
3	16516
4	39752
5	18710
6	8400
7	78265
8	14300
9	51534

1. परिचय

तूंगा ग्राम राजस्थान राज्य के जयपुर जिले की बस्सी तहसील में स्थित है । यह ग्राम पंचायत मुख्यालय है । जिला मुख्यालय जयपुर से तूंगा पूर्व दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी पर तथा बस्सी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । तूंगा से एक किलोमीटर पूर्व दिशा में जिला दौसा की सीमा आ जाती है । यह ग्राम राज्य राजमार्ग संख्या 2 (चाकसू-दौसा) व 24 (बस्सी-लालसोट) के जंक्शन पर स्थित है ।

राजस्व ग्राम का कुल क्षेत्रफल 731.08 हैक्टेयर है । पुरानी ग्राम आबादी पहाड़ी की तहलटी में स्थित है तथा बाद में इसका विकास राज्य राजमार्ग संख्या 2 के सहारे सहारे हुआ है । मुख्य आबादी के केन्द्र में बाजार स्थित है जो कि आसपास के 15 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में स्थित ग्रामों व ढाणियों का मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र है । ग्राम के आबादी क्षेत्र से लगते हुये एक पहाड़ी स्थित है तथा राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र में अन्य तीन स्थानों पर पहाड़ी क्षेत्र है तथा वर्तमान में राजस्व ग्राम का जल स्तर लगभग 120 फीट की गहराई पर है ।

2 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

तूंगा ग्राम की स्थापना के सम्बन्ध में यद्यपि कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है फिर भी उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के अनुसार यह माना जा सकता है कि तूंगा ग्राम की स्थापना अठ्ठारहवीं शताब्दी से पूर्व में हुई है । प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्सटॉड द्वारा लिखित राजस्थान के इतिहास में महादजी सिधिया के नेतृत्व में मराठा सेना एवं महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के नेतृत्व में राजपूत सेना के मध्य माह जुलाई, 1787 ईसवीं में तूंगा में युद्ध होने एवं इस युद्ध में मराठा सेना के पराजित होने का उल्लेख है । तूंगा ग्राम में आज भी इमलीवाला बाग में ठाकुर बख्तावर सिंह का स्मारक तथा इससे कुछ दूरी पर ही कुण्ड के पास स्थित ठाकुर सूरजमल बिसाउ की छतरी स्थित है जो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये थे।

तूंगा राजस्व ग्राम में राजपूतों के वलिदान, वीरता, साहस व शौर्य के प्रतीक के रूप में निम्न स्थानों पर छतरियां बनी हुई है :-

1. ग्राम पंचायत भवन के पास ।
2. कुण्ड के पास ।
3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास ।
4. बस स्टेण्ड के पास ।



(1787 के युद्ध का स्थल)

3. जनसंख्या

तूंगा ग्राम की वर्ष 1971 की जनसंख्या 2,348 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 5,187 हो गई । इस प्रकार ग्राम तूंगा की जनसंख्या में पिछले तीन दशकों में लगभग दुगनी से ज्यादा वृद्धि हुई । वर्ष 2001 की जनसंख्या में 2,763 पुरुष व 2,424 महिलायें थी । इस प्रकार ग्राम का लिंगानुपात 877 है । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार तूंगा ग्राम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या 1,082 है, जोकि कुल आबादी की लगभग 21 प्रतिशत है । ग्राम में कुल 743 परिवार निवास करते हैं एवं परिवार का आकार 7 व्यक्ति प्रति परिवार है ।

ग्राम तूंगा की जनसंख्या वृद्धि दर (1971-2001)

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1971	2,348	—	—
1981	2,976	628	26.74
1991	3,936	960	32.25
2001	5,187	1251	31.78

(स्रोत : जनगणना भारत सरकार, राजस्थान 1991-2001)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्राम तूंगा की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 32: है, जो कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की वृद्धि दर से ज्यादा है । निम्न तालिका में ग्राम तूंगा की आगामी 20 वर्षों की अनुमानित जनसंख्या का आंकलन है जिसके अनुसार वर्ष 2031 में अनुमानित जनसंख्या 12,000 होने की आशा है ।

अनुमानित जनसंख्या

वर्ष	अनुमानित जनसंख्या	अनुमानित वृद्धि दर
2011	6,850	32.06 :
2021	9,050	32.16 :
2031	12,000	32.60 :

4. व्यावसायिक संरचना

व्यावसायिक संरचना - तूंगा - 1991-2001

क्र०सं०	व्यवसाय	वर्ष-1991	प्रतिशत	वर्ष-2001	प्रतिशत
1.	कृषि	396	37.15	596	34.27
2.	खेतीहर मजदूर	170	15.95	164	9.43
3.	घरेलू उद्योग	58	5.44	93	5.35
4.	अन्य सेवाएं	442	41.46	886	50.95
	कुल योग	1066	100:	1739'	100:
	सीमान्त मजदूर	201		(सीमान्त मजदूर सहित)	
		1267			

(स्रोत: जनगणना भारत सरकार, राजस्थान वर्ष 1991-2001)

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार तूंगा ग्राम में कार्यरत व्यक्तियों की सहभागिता का अनुपात 32.17: था, जो कि वर्ष 2001 में बढ़कर 33.52: हो गया । यहा पर लगभग एक तिहाई से अधिक व्यक्ति कृषि कार्य करते है । कृषि कार्य करने वालों का प्रतिशत वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में 2.88: घटकर 34.27: रह गया है । इसी प्रकार खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत भी 15.25: से घटकर 9.43: रह गया है तथा अन्य सेवाओं जिनमें व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियां, यातायात एवं दूरसंचार, निर्माण अन्य उद्योग आते है में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत वर्ष 1991 में 41.46: से बढ़कर 50.95: हो गया है ।

उपरोक्त यह दर्शाता है कि तूंगा ग्राम का स्वरूप धीरे-धीरे ग्रामीण परिवेश से नगरीय परिवेश की ओर अग्रसर हो रहा है तथा कृषि कार्य हेतु आधुनिक तकनीकी के उपयोग से खेतीहर मजदूरों की संख्या घट रही है ।



(खेती का परिदृश्य)



(ग्रामीण बाजार)

5. विद्यमान भू-वर्गीकरण


ग्राम तूंगा का कुल राजस्व क्षेत्रफल 731 हैक्टेयर है, जिसका वर्गीकरण निम्नानुसार है :

क्र०सं०	भूमि का वर्गीकरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	आबादी भूमि	14.88
2.	सिवायचक भूमि	1.44
3.	गैर मुमकिन जोहड़	3.77
4.	गैर मुमकिन पहाड़	19.07
5.	गैर मुमकिन चरागाह	85.61
6.	वन भूमि	44.55
7.	कृषि भूमि	561.68
कुल योग		731.00

6. भौतिक विकास की भावी दिशा

ग्राम तूंगा मूलतः पहाड़ी की तहलटी पर बसा हुआ था । तत्पश्चात ग्राम तूंगा की आबादी का विस्तार शनैः शनैः बस्सी एवं लालसोट को जाने वाली सड़कों के मध्य प्रमुख रूप से हुआ । वर्तमान में निजी विकासकर्ताओं द्वारा भी बस्सी सड़क से लगते हुये पूर्व की ओर आवासीय योजनायें विकसित की जा रही हैं । इन आवासीय योजनाओं के समीप उत्तर की ओर ग्राम तूंगा की सीमा से लगते हुये राजस्व ग्राम गावड़ी में राजकीय कन्या छात्रावास व 132 के0वी0 का विद्युत ग्रिड स्टेशन स्थित है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों से यह परिलक्षित होता है कि ग्राम तूंगा का विकास आने वाले समय में मुख्य रूप से बस्सी सड़क के दोनों ओर होने की सम्भावना है । इसी को ध्यान में रखते हुये ग्राम तूंगा की भावी जनसंख्या की आवासीय एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बस्सी सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित चरागाह भूमि पर आवासीय एवं संस्थानिक योजना प्रस्तावित की गई है ।



(स्रोत: गुगल इमेज)

7. प्रस्तावित आवासीय एवं संस्थानिक योजना

ग्राम तूंगा के उत्तरी-पश्चिमी भाग में लगभग 85.6 हैक्टेयर गैर-मुमकीन चरागाह भूमि स्थित है । इसमें से 27 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय एवं संस्थानिक योजना प्रस्तावित की गई है । प्रस्तावित योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न राजकीय कार्यालयों एवं अन्य जनसुविधाओं हेतु निम्न विवरणानुसार भूखण्ड प्रस्तावित किये हैं ।

क्र०सं०	प्रस्तावित उपयोग	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
1.	महाविद्यालय	25000
2.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	12000
3.	अस्पताल	13000
4.	पशु चिकित्सालय	3600
5.	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	900
6.	पटवार घर	900
7.	आंगनबाड़ी	1200
8.	किसान सेवा केन्द्र	1500
9.	टेलीफोन एक्सचेंज	1500
10.	डाकघर	1500
11.	सहकारी समिति	1900
12.	कम्यूनिटी सेन्टर	8400
13.	पंचायत घर	3600
14.	पुलिस स्टेशन	3500
15.	वाणिज्यिक	1800
16.	ग्रामीण स्टेडियम एवं मेला ग्राउण्ड	69000

प्रस्तावित योजना में निम्न विवरणानुसार आवासीय भूखण्ड प्रस्तावित किये गये हैं।

क्र०सं०	भूखण्ड का आकार (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	संख्या
1.	7-5 x 15-0	112-5	211
2.	9-0 x 18-0	162-0	42
3.	12-0 x 22-0	264-0	46
कुल संख्या			299

आवासीय भूखण्डों के निवासियों के उपयोग हेतु तीन पार्क प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 1800, 3500 व 3700 वर्गमीटर है।

8. विरासत संरक्षण


राजस्व ग्राम तूंगा में राजपूतों के बलिदान, वीरता, साहस एवं शौर्य के प्रतीक के रूप में ऐतिहासिक अवशेष एवं स्मारकों के रूप में निम्न स्थलों पर प्राचीनकालीन छतरियां विद्यमान हैं :-

1. ग्राम पंचायत भवन के समीप ।
2. कुण्ड के समीप ।
3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास ।
4. बस स्टेण्ड के पास ।
5. इमलीवाला बाग में ।

वर्तमान में उक्त छतरियां का उचित रख-रखाव नहीं हो रहा है तथा ग्राम में कोई ऐसी संस्था भी नहीं है जो इनकी समुचित देख-भाल कर सकें। अतः उचित होगा कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर इनके जीर्णोद्धार एवं रख रखाव हेतु उचित कदम उठाये जाये, ताकि इन प्राचीनकालीन एवं ऐतिहासिक अवशेष एवं स्मारकों को संरक्षण हो सके ।



(प्राचीनकालीन छतरियां)



(प्राचीन बावड़ी)

(प्राचीन तिबारा)

9. पर्यावरण

ग्राम तूंगा की आबादी से लगते हुये बस स्टेण्ड के पास पहाड़ी स्थित है, जिसमें भवनों की चुनाई के पत्थरों हेतु खनन कार्य जारी है । पहाड़ी में खनन कार्य हेतु विस्फोटक पदार्थ यथा बारूद इत्यादि के उपयोग से आस पास स्थित वस्ती में जान-माल की हानि की सम्भावना बनी रहती है तथा इससे उठने वाले धूल के कणों से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है तथा आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

उक्त पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे खनन कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाकर उक्त क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जाकर हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे पर्यावरण की दृष्टि से आस पास का क्षेत्र स्वच्छ एवं साफ सुथरा रहे ।

ग्राम के उत्तर-पश्चिम में वन भूमि तथा सामाजिक वाणिकी क्षेत्र है । उक्त दोनों क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाय ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके ।



(खनन से हो रही पर्यावरण से हानि)

MODEL VILLAGE MASTER DEVELOPMENT PLAN - TOONGA VILLAGE

10. शैक्षणिक स्थिति

क्र० सं०	विधालय का नाम	प्रकार	स्तर	विधार्थियों की संख्या	सुविधायें				विजली की व्यवस्था
					भवन / कक्ष	शौचालय / पेशाबघर	खेल का मैदान	पीने का पानी	
1.	राजकीय उच्च विधालय, तूंगा	सरकारी	12वीं	1383	है। (मीटिंग हाल की आवश्यकता)	है, किन्तु पर्याप्त नहीं।	है, किन्तु विकसित नहीं।	है।	है।
2.	राजकीय बालिका विधालय, तूंगा	सरकारी	10वीं	122	भवन है, किन्तु कमरों की स्थिति ठीक नहीं।	नहीं।	नहीं।	है, लेकिन समुचित नहीं।	नहीं।
3.	राजकीय प्राथमिक विधालय, तूंगा	सरकारी	5वीं	117	है।	छात्राओं हेतु आवश्यक।	है।	हेण्डपम्प।	नहीं।
4.	राजकीय बालिका प्राथमिक विधालय, तूंगा	सरकारी	5वीं	104	भवन नहीं है।	माध्यमिक विधालय में कमोन्स हो जाने के कारण कक्षाओं हेतु भवन एवं अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं।	है।	हेण्डपम्प	नहीं।
5.	राजकीय प्राथमिक विधालय ढण्ड के बालाजी	सरकारी	5वीं	55	है।	है।	है।	हेण्डपम्प	नहीं।
6.	राजकीय प्राथमिक विधालय रामहेरी ढाणी, तूंगा	सरकारी	5वीं	27	नहीं।	नहीं।	नहीं।	नहीं।	नहीं।

उपरोक्त के अलावा ग्राम में एक निजी कालेज व तीन निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय, तीन निजी सैकण्डरी स्कूल व दो निजी प्राथमिक विद्यालय संचालित है ।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्राम में विद्यमान सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें यथा भवन, खेल के मैदान, शौचालय, मूत्रालय, बिजली की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था पर्याप्त एवं समुचित नहीं है । अतः इन्हें विकसित करने की आवश्यकता है । विशेषतः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास पर्याप्त भूमि खेल के मैदान हेतु उपलब्ध है, किन्तु यह समुचित रूप से विकसित नहीं है । इसका अच्छी तरह विकास करके छोटे स्टेडियम के रूप में विकसित किया जा सकता है । साथ ही इस स्कूल की चारदीवारी भी एक स्थान पर टूटी हुई है, जिसमें से पशु व असामाजिक तत्व विद्यालय की चारदीवारी में घुस जाते हैं । अतः इसे दुरस्त कराने की आवश्यकता है ।

ग्राम तूंगा में निजी क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय जो कि छोटे से भवन में संचालित है एवं आसपास के क्षेत्र व तूंगा के विकास की सम्भावनाओं के मध्यनजर चरागाह भूमि पर प्रस्तावित संस्थागत योजना में महाविद्यालय हेतु 25,000 वर्गमीटर की भूमि आरक्षित की है ।

11. पशुधन


(क) वर्तमान स्थिति:

ग्राम तूंगा के दुधारु पशुधन की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है:

क्र०सं०	वर्गीकरण	संख्या
1.	गाय	814
2.	भैंस	1055
3.	बकरी	1719
	कुल योग	3588

वर्तमान में पशु चिकित्सालय ग्राम के अन्दर मुख्य बाजार में ग्राम पंचायत भवन के पास सकडी सड़क पर स्थित है । भवन की स्थिति ठीक नहीं है । शौचालय आदि की भी व्यवस्था नहीं है । पशु चिकित्सालय में रोल्ड चैन की व्यवस्था नहीं है एवं बीमार पशुओं की चिकित्सा हेतु वार्ड व चिकित्सक व स्टाफ के आवास की व्यवस्था भी नहीं है ।

इस चिकित्सालय में आस पास के क्षेत्रों यथा माधोगढ़, अणतपुरा, भूडला, गढ़, करणगढ़ इत्यादित 37 गावों के पशुपालक सेवायें प्राप्त करते हैं । इस क्षेत्र के सभी प्रकार के पशुओं की संख्या करीब 18,797 है।



(पशु चिकित्सालय)

(ख) दुग्ध संग्रहण:

तूंगा ग्राम में 3 डेयरी सोसाइटी दुग्ध संग्रहण केन्द्र का काम करते हैं, जो पशुपालकों से दुग्ध एकत्रित कर जयपुर डेयरी को सुबह-शाम जयपुर भेजते हैं। यह पशुपालकों की आय का मुख्य आधार है ।

इन तीन डेयरियों पर प्रतिदिन लगभग 1500-1800 लीटर दुग्ध संग्रहित किया जाता है । इसके अतिरिक्त 8000-10000 लीटर दुग्ध प्रतिदिन पशुपालकों द्वारा सीधे ही जयपुर भेजा जाता है । अतः स्थानीय स्तर पर ही दुग्ध संग्रहण की व्यवस्था को विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि दुग्ध विक्रय ग्रामीणों की आजीविका का प्रमुख साधन होता है ।

(ग) प्रस्ताव :


पशु चिकित्सालय का विद्यमान भवन ग्राम के मध्य में भीड़-भाड़ वाले इलाके में है जहां वाहनों व पशुओं को लाने-ले जाने में दुविधा उत्पन्न होती है । अतः पशु चिकित्सालय को ग्राम से बाहर की ओर खुले स्थान में स्थानान्तरित करना उचित होगा । इस हेतु प्रस्तावित संस्थागत योजना में 3,600 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की है । इस भूखण्ड के परिसर में पशु चिकित्सक, कम्पाउन्डर आदि स्टाफ के आवास का भी निर्माण किया जा सकता है ताकि ग्रामवासियों को 24 घन्टे सेवा उपलब्ध हो सके ।

चिकित्सालय में नियमानुसार पर्याप्त स्टाफ का पदस्थापन किया जावे, ताकि कार्य का सुचारु रूप से निर्वहन हो सके ।

12. जलापूर्ति

ग्राम तूंगा में वर्तमान में पाईपड पेय जल योजना है, जिसमें लगभग 700 नल कनेक्शन है । प्रत्येक परिवार से नल कनेक्शन हेतु राशि रूपये 52/- प्रति माह लिये जा रहे है । ग्राम तूंगा में 6 नलकूप है एवं 3 उच्च जलाशय (क्षमता 446 किलो लीटर) के माध्यम से प्रतिदिन पेयजल वितरण किया जा रहा है । वर्तमान सर्विस लेवल 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है ।

ग्राम तूंगा की पेयजल योजना को 2007-08 में पुनर्गठित किया गया था । इस योजना के अन्तर्गत दो नलकूप, एक स्वच्छ जलाशय एवं उच्च जलाशय एवं लगभग 6 किलोमीटर लम्बाई में विभिन्न साईज की पाइप लाईन बिछाई गई थी, जिसकी लागत राशि रूपये 47.85 लाख थी । यह योजना 3 साल की संधारण एवं मरम्मत के तहत ठेकेदार द्वारा संचालित की जा रही है । पुनर्गठित योजना के अन्तर्गत केवल मुख्य आबादी को ही पाईप लाईन योजना में सम्मिलित किया गया था ।



(पानी की टंकी व पी0एख0ई0डी0 कार्यालय)

आसपास की ढाणियों को केवल हेण्डपम्प योजना से ही लाभान्वित किया गया है। आदर्श ग्राम योजना के तहत जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा इन ढाणियों को पाईपड योजना से जोड़ने की योजना प्रस्तावित की है। इस हेतु अतिरिक्त नलकूप, जलाशय व पाईप लाइनों की आवश्यकता होगी।

13. जलमल निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन एवं ग्रामीण स्वच्छता



वर्तमान में तूंगा ग्राम में सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है ना ही सामुदायिक शौचालय है। कुछ समृद्ध परिवारों द्वारा स्वयं के निवास पर फ्लश टॉइलेट निर्मित करा रखे है। शेष आबादी खुले में शौच कार्य से निवृत्त होती है जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। साथ ही राजकीय विधालयों में भी शौचालय व मूत्रालयों की उचित व्यवस्था नहीं है। अतः हरिजन बस्तियों व आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की बस्तियों में ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराना चाहिये।

ग्राम तूंगा के मुख्य बाजार में गन्दे व बरसाती पानी के निकास हेतु नालियां निर्मित नहीं है तथा उत्तरी-पश्चिमी भू-भाग का ढलान दक्षिण-पूर्वी दिशा में होने के कारण बरसाती पानी ग्राम की मुख्य आबादी से गुजरता है जिससे मुख्य बाजार में बरसात के दिनों में 1-2 फीट तक पानी भर जाता है। अतः इस हेतु योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

ठोस कचरे के निस्तारण हेतु वर्तमान में कोई सुनियोजित योजना नहीं है। वर्तमान में लालसोट रोड व राल्यावाला को जाने वाली सड़कों के दोनो ओर ग्राम पंचायत द्वारा ठोस कचरा डलवाया जाता है, जो कि उचित नहीं है। ग्राम के आसपास के क्षेत्र में नीचले क्षेत्र (लो-लाईगं एरिया) में जो मुख्य सड़क के सहारे स्थित नहीं हो को इस कार्य हेतु उपयोग में लिया जाना उचित होगा।

(ठोस कचरा प्रबन्धन के अभाव में प्रदूषण)





14. प्रस्तावित विकास कार्य :

(i) यातायात :

1. ग्राम तूंगा में कोई नियोजित बस स्टेण्ड नहीं है । वर्तमान में बसें ग्राम के मध्य में सड़क के मार्गाधिकार पर ही रूकती है, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है । अतः विद्यमान चिकित्सा भवन जो कि दौसा व बरसी रोड के जंक्शन पर स्थित है उस स्थान पर या बरसी रोड पर ही मुख्य तिरोहे के नजदीक स्थित कय विक्रय सहकारी समिति के स्थल पर बस स्टेण्ड विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।
2. राज्य राजमार्ग सं० 2 व 24 ग्राम के मध्य में से गुजरते हैं, जिससे यातायात के सुगम संचालन में बाधा उत्पन्न होती है तथा दुर्घटनाओं की सदैव सम्भावनायें बनी रहती हैं । अतः उक्त समस्या के निराकरण हेतु ग्राम के बाहर पूर्व दिशा में 150 फीट चौड़ा बाईपास प्रस्तावित किया है जिसे विकसित किया जाये तथा चाकसू रोड से बरसी सड़क को जोड़ने हेतु कस्बे के पश्चिम की ओर एक 60 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है, जिसे विकसित किया जाये, जिससे ग्राम के मध्य से भारी वाहनों के यातायात के दबाव को कम किया जा सके ।
3. ग्राम में अनियोजित तरीके से कृषि भूमि पर भूखण्ड काट कर विक्रय किये जा रहे हैं, जिससे सड़कों कम चौड़ाई की एवं एक-दूसरी सड़कों को नहीं जोड़ती हैं । अतः ग्राम के भावी विकास को दिशा प्रदान करने हेतु नियोजित तरीके से सड़क तंत्र प्रस्तावित किया गया है, उसी के अनुरूप ग्राम का विकास किया जाये ।
4. वर्तमान में विद्यमान सड़कों की चौड़ाई कम है । अतः मौके की स्थिति के अनुसार उनका मार्गाधिकार (चौड़ाई) निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार सड़कों को चौड़ा किया जाये एवं जो अस्थाई प्रकृति के अतिक्रमण सड़कों के मार्गाधिकार में कर लिये गये हैं उनको हटाया जाये ।
5. वर्तमान में बसें रूकने के स्थान के पास स्थित मुख्य तिरोहे पर ठेले, अस्थाई अतिक्रमण के कारण प्रायः यातायात अवरूद्ध होने की समस्या बनी रहती है । अतः इस स्थल से अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया जाये ।

6. ग्राम तूंगा की आन्तरिक सड़कों की वर्तमान में स्थिति बहुत खराब है एवं नालियों का निर्माण नहीं होने के कारण पानी व कचरा सड़कों पर पड़ा रहता है। ग्राम तूंगा की सभी आन्तरिक सड़कों को यथासम्भव चौड़ी करके पक्का निर्माण किया जाये एवं सड़कों के सहारे सहारे पक्की नालियों का निर्माण कराया जाये ।

(ii) पर्यावरण :

1. ग्राम की उत्तरी-पश्चिमी सीमा के समीप वन भूमि एवं राजकीय भूमि स्थित है, जिस पर सघन वृक्षारोपण किया जाये, जिससे प्राकृतिक वातावरण में सुधार हो सके ।
2. लालसोट एवं चाकसू सड़क के जंक्शन पर स्थित पहाड़ी पर खनन कार्य निषेध किया जाये तथा उस पर वृक्षारोपण किया जावे ।
3. उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा में ग्राम के मध्य से बरसाती नाला निकलता है उसे पक्का किया जाये ।
4. ग्राम के अधिकतर हिस्से में धरेलू जल-मल निकास हेतु नालियां नहीं होने के कारण सड़कों पर ही गन्दा पानी फैलता है । अतः समुचित डिजाईन की नालियां बनाई जाये ।
5. वर्तमान में ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु उचित स्थान न होने के कारण ग्राम के बाहर सड़कों के सहारे जहां कहीं खुली जगह मिलती है वहीं कचरा निस्तारित कर दिया जाता है । अतः इस समस्या के निराकरण हेतु ग्राम के बाहर दौसा सड़क पर पहाड़ी के समीप निम्न भू-भाग पर कचरे का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है ।
6. ग्राम तूंगा में मुख्य बाजार में, बस स्टेण्ड व बस स्टेण्ड के पास मुख्य तिराहे पर सार्वजनिक शौचालय बनाया जाये, जिससे आम जनता को सुविधा उपलब्ध हो सके ।

(iii) शैक्षणिक विधालय :

ग्राम तूंगा के मुख्य बाजार में राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय स्थित है। उक्त विधालय में प्रवेश एवं निकास हेतु वर्तमान में केवल छोटा सा द्वार है एवं आस पास दुकानें होने के कारण मुख्य बाजार में से एक छोटा सा रास्ता उपलब्ध है। अतः ग्राम तूंगा के मानचित्र में पूर्व दिशा में एक नई सड़क प्रस्तावित की गयी है एवं उक्त सड़क से विधालय में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग दर्शाया गया है इसे विकसित किया जाये। विधालय की चारदीवारी का निर्माण, सभा भवन का निर्माण एवं खेल के मैदान को विकसित किया जाये।

(iv) प्राथमिक चिकित्सालय :

प्राथमिक चिकित्सालय को सामुदायिक चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाये एवं इसके स्थान को तूंगा ग्राम के विकास योजना मानचित्र के प्रस्तावानुसार नये प्रस्तावित स्थल पर स्थानान्तरित किया जाये।

(v) पशु चिकित्सालय :

वर्तमान में पशु चिकित्सालय मुख्य बाजार में स्थित है एवं चिकित्सालय में पशुओं के पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। अतः इसे तूंगा ग्राम के विकास योजना मानचित्र में पशु चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित स्थल पर स्थानान्तरित किया जाये।

(vi) व्यावसायिक दुकानें :

ग्राम तूंगा में मुख्य सड़कों के साथ साथ दुकानें बन जाने से व समुचित पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः व्यावसायिक दुकानें बनाते समय वाहन पार्किंग का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये व दुकानों का निर्माण निर्धारित सड़क मार्गाधिकार के पश्चात 20 फीट भूमि वाहनों के पार्किंग हेतु खुली छोड़ने के बाद ही किया जाये। साथ ही वर्तमान में निर्मित दुकानों के पार्किंग हेतु समीपस्थ खाली स्थानों को चिन्हित करके समुचित पार्किंग स्थल विकसित किये जाये।

(vii) समाज कल्याण विभाग का छात्रावास :

ग्राम तूंगा में पॉवर हाउस के पास समाज कल्याण विभाग का छात्रावास स्थित है । उक्त छात्रावास की चारदीवारी का निर्माण व बच्चों के लिये खेल-कूद का मैदान विकसित किया जाये ।

(viii) विरासत संरक्षण :

ग्राम तूंगा में विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक बावड़ी है, जिसका जीर्णोद्धार किया जाये एवं बावड़ी के पास व ग्राम में कुछ छतरियां बनी हुई है उन सभी छतरियों का जीर्णोद्धार करवाया जाये ।

(ix) श्मशान / कब्रिस्तान:

ग्राम तूंगा में दो श्मशान व एक कब्रिस्तान है । बस स्टेण्ड के पास स्थित श्मशान में चारदीवारी, शौचालय व स्नानघर, टीन शेड़ व बैठने के लिये पक्का ढका हुआ स्थल विकसित किया जाये व लालसोट रोड़ पर स्थित श्मशान में शौचालय, स्नानघर, टीन शेड़ विकसित किया जाये । पॉवर हाउस के पास स्थित कब्रिस्तान में चारदीवारी, बैठने के लिये पक्का समुचित स्थल, शौचालय व स्नानघर विकसित किया जाय ।

(x) जलाशय :

ग्राम तूंगा में लालसोट रोड़ के पास एक बड़ा जलाशय व बालाजी का मन्दिर स्थित है । उक्त स्थल को एक रमणीक स्थल व गोठ आदि के स्थान के रूप में विकसित किया जाना चाहिये । जलाशय पर पाल व सीढ़ियों का निर्माण कराया जाय । साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि जलाशय के प्रवाह क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो व मन्दिर में गोठ आदि के लिये पक्की रसोईयां व बैठने के लिये समुचित पक्के स्थल विकसित किये जाये ।

(xi) कृषि भूमि का रूपान्तरण :

कृषि भूमि पर जो भूखण्ड बेचान किये जा रहे है । उनके कारण ग्राम में अनियोजित विकास हो रहा है । अतः कृषि भूमि पर प्रस्तावित योजनाओं का सक्षम तकनीकी अधिकारी से अनुमोदन कराने के बाद ही योजनायें विकसित की जाय ।

15. ग्रामीण विकास हेतु राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की योजनाएँ:-

तूंगा ग्राम में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की निम्न लिखित योजनाओं से निम्न प्रकार के विकास के कार्य करवाये जाते हैं।

क्र०स०	योजना का नाम	विकास कार्यों के प्रकार
1	राज्य वित्त आयोग (राज्य-सरकार)	नाली, सडक, पेयजल के कार्य, स्वच्छता सम्बन्धी कार्य, गलियों सडकों पर प्रकाश की व्यवस्था, कब्रिस्तान, शवदाह ग्रहों के रखरखाव, प्रा० स्वा० सुविधाओं का रखरखाव
2	बाहरवां वित्त आयोग (केन्द्र सरकार)	नाली, पेयजल के कार्य, स्वच्छता सम्बन्धी (शोचालय, मुत्रालय) कार्य
3	विधायक क्षेत्रिय विकास योजना (राज्य सरकार)	नाली, सम्पर्क सडक, सार्वजनिक भवन, पेयजल के कार्य एवं विधायक महोदय द्वारा अनुशंसित सभी प्रकार के कार्य (धार्मिक प्रवृत्ति के कार्यों को छोडकर)
4	सांसद योजना (केन्द्र सरकार)	नाली, सम्पर्क सडक, सार्वजनिक भवन, पेयजल के कार्य एवं सांसद महोदय द्वारा अनुशंसित सभी प्रकार के काय (धार्मिक प्रवृत्ति के कार्यों को छोडकर)
5	इन्दिरा आवास योजना (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)	व्यक्तिगत लाभ हेतु आवासीय सुविधा
6	महात्मा गांधी नरेगा (केन्द्र सरकार)	नाली, सम्पर्क सडक, तलाब, बांध, एनिकट, वृक्षा रोपण एवं चारागाह विकास, बाढ बचाव हेतु कार्य, एस०सी०/एस०टी०/ बी०पी०एल० व्यक्तिगत लाभ हेतु, भूमि सूधार के कार्य आदि

